	छत्तीसगढ़ विधान सभा
	पत्रक भाग - एक **संक्षिप्त कार्य विवरण**
	पंचम विधान सभा एकादश सत्र अंक-02

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2021</u>

(श्रावण 5, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 16 (कुल 16) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री विद्यारतन भसीन के स्थान पर श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य अधिकृत रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 46 तारांकित एवं 64 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष की अनुमति से श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने राजपत्र की प्रति पटल पर रखी।)

2.बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां -

(i) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड,

(ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,

(iii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा

(iv) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड,

का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018

(2) श्री मोहम्मद अकबर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 12085/3272/21-ब/छ.ग./2019, दिनांक 23 नवम्बर, 2019

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020 तथा

(4) श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20

पटल पर रखे ।

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2021 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य

पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है :-

<u>वित्तीय कार्य</u>	**<u>समय</u>**
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	03 घंटे

<u>विधि विषयक कार्य</u>

1.	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021	30 मिनट
2	छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निहर्रता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021	15 मिनट
3	छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021.	1 घंटा 30 मिनट

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>5.पृच्छा</u>

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रदेश में धर्मान्तरण, मंताकरण एवं रोहिंग्या शरणार्थियों की घुसपैठ के संबंध दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

<u>6.वक्तव्य</u>

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने श्री बृहस्पत सिंह, विधायक रामानुजगंज एवं उपाध्यक्ष सरगुजा विकास प्राधिकरण के कारकेड चालक के साथ घटित घटना के संबंध में वक्तव्य दिया ।

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने भी विचार व्यक्त किये।

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने आसंदी को अवगत कराया कि मैं आपकी अनुमति लेकर तब तक के लिये, जब तक इसमें शासन की तरफ से मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता, मैं इस सदन के इस पवित्र प्रजातंत्र की सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिये अपने आपको योग्य नहीं समझता हूं ।

तत्पश्चात् श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सदन से बाहर गये ।

(निरंतर व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.26 बजे स्थगित की जाकर 1.08 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्यों द्वारा सदन की समिति से जांच कराये जाने की मांग की गई ।

माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण हेतु श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य का नाम पुकारा ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य- प्रस्तुत नहीं हुई ।

(2) श्री अरूण वोरा, सदस्य- (अनुपस्थित) प्रस्तुत नहीं हुई ।

8. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री कुलदीप जुनेजा

(2) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आये ।)

9. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2021 की तिथि निर्धारित की ।

अपराहन 01.21 बजे विधान सभा की कार्यवाही, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2021 (श्रावण-6, शक संवत् 1943) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा